



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

7वीं मंजिल, टावर-बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर,

नई दिल्ली-110029

याचिका सं. 179/टीडी/2024

दिनांक: 14.6.2024

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क)के अधीन नोटिस

1. भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार के लिए श्रेणी-V की अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए इन्फिनिटी ग्लोबल पावर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, 8-2-610/68/1,2,3,5वां तल, एकाई ब्लू, रोड नं. 10-बंजारा हिल्स, खैरताबाद, हैदराबाद-500034, तेलंगाना द्वारा आयोग के समक्ष आवेदन किया गया है।
2. इन्फिनिटी ग्लोबल पावर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति वेबसाइट **enfinity.global** पर देखी जा सकती है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
3. रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग संतुष्ट है कि प्रथम दृष्टया आवेदक विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए अर्हक है और दिनांक 13.06.2024 के आदेश द्वारा आयोग ने भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अंतरराज्यिक व्यापार के लिए आवेदक को श्रेणी-V की अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने का प्रस्ताव किया है।
4. अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में आयोग द्वारा यथापूर्वोक्त विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के प्रस्ताव के प्रति, सुझाव या आपत्तियाँ, यदि कोई हों, आमंत्रित करने के लिए एतद् द्वारा नोटिस दिया जाता है जो कि **दिनांक 25.06.2024** तक अधोहस्ताक्षरी के पास दिए ऊपर दिए गए पते पर पहुंच जाएं। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. आयोग ने **दिनांक 27.06.2024** को अंतिम निपटान के लिए आवेदन को निर्धारित किया है और जो व्यक्ति सुझावों या आपत्तियों को दाखिल करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/-

(हरप्रीत सिंह पुथी)

सचिव